

सं.13034/12/2009-रा.भा.(नीति)

भारत सरकार  
गृह मंत्रालय  
(राजभाषा विभाग)


एन.डी.सी.सी.-II बिल्डिंग, 'बी' विंग, चौथा तल,  
जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001  
दिनांक 6 मई, 2014

कार्यालय जापन

विषय: अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी में भी सरकारी काम-काज करने के लिए आशुलिपिकों तथा टंककों के लिए हिन्दी प्रोत्साहन भत्ता देना।

कृपया राजभाषा विभाग के कार्यालय जापन सं० 13017/4/90-रा.भा(ग), दिनांक 28.07.1998 का संदर्भ लें।

2. इस प्रोत्साहन राशि को 06 मई, 2014 से आशुलिपिकों तथा टंककों के लिए क्रमशः रु. 240/- तथा रु. 160/- प्रतिमाह किया जाता है। दिनांक 12 अगस्त, 1983 के का.जा.सं. 14012/55/76-रा.भा.(ग) में इस योजना के अन्तर्गत प्रोत्साहन देने के लिए जो शर्तें दी गई हैं, वे लागू रहेगीं।

  
(मोपाल सिंह)  
निदेशक(नीति)

प्रति:

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव(प्रशासन)
2. निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, पर्यावरण भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली।
3. निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, पर्यावरण भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली।
4. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग।
5. एन.आई.सी., राजभाषा विभाग से अनुरोध है कि इस कार्यालय जापन को राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का प्रबंध कराएं।